

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक/एफ 5-15/2010/10-2

रायपुर, दिनांक...13../12/2016

प्रति,

श्री संदीप शर्मा

ए.आई.जी. (एफ.सी.) भारत सरकार, पर्यावरण वन

तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़

नई दिल्ली -110003 ।

विषय:- आवेदनकर्ता मेसर्स जायसवाल निको लिमिटेड रायपुर का उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पश्चिम भानुप्रतापपुर वनमंडल अंतर्गत ग्राम मेटाबोदली में संरक्षित वन का 57 हे. वन भूमि लौह अयस्क खनिज उत्खनन हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के धारा 2 (iii) के तहत खनिज विभाग के साथ लीज डीड संपादन की अनुमति का प्रस्ताव ।

संदर्भ:- 1. विभागीय पत्र क्र. एफ 5-15/20110/10-2 दिनांक 04.02.2013 ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्र./भू-प्रबंध/खनिज/331-08/2741 दि. 07.11.2016 ।

---00---

विषयांकित संदर्भित पत्र क्र.-1 के माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2(ii) के तहत गैर वानिकी कार्य की अनुमति प्रदाय करने हेतु, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है ।

2/- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्र.-2 के माध्यम से प्रकरण में धारा 2(iii) के तहत खनिज विभाग से लीज डीड करने की अनुमति की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ।

3/- उपरोक्त प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित संलग्न प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(एम.एन. राजूरकर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

रायपुर, दिनांक...../12/2016

पृष्ठां. क्रमांक/एफ 5-15/2010/10-2

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
2. मुख्य वन संरक्षक कांकेर, वृत्त कांकेर, छत्तीसगढ़ ।
3. वनमंडलाधिकारी पूर्व भानुप्रतापपुर, वनमंडल भानुप्रतापपुर, छत्तीसगढ़ ।
4. अध्यक्ष, मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र, सिलतरा, रायपुर छत्तीसगढ़, की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग